

डिक्री बमूकदमें इब्तदाई  
( आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी )  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर  
राजस्व वाद संख्या 126 /2024  
दीवानी अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

- वादी
1. जुगलकिशोर पुत्र प्रभुदास
  2. सुशील कुमार स्वामी पुत्र नन्दलाल स्वामी
  3. मूलचन्द साद पुत्र जुगलकिशोर जातियान साद निवासीगण तंवरा तहसील डेह
- बनाम

प्रतिवादीगण

1. नन्दलाल पुत्र प्रभुदास
2. मुकेश कुमार स्वामी पुत्र नन्दलाल
3. प्रहलाद पुत्र जुगलकिशोर
4. किरण पुत्री जुगलकिशोर
5. पुष्पा स्वामी पुत्री जुगलकिशोर
6. बंसती पुत्री जुगलकिशोर
7. अनिता पुत्री नन्दलाल
8. सीता देवी पुत्री नन्दलाल
9. संगीता पुत्री नन्दलाल
10. उमादेवी पत्नि प्रभुदास
11. गंगा पुत्री प्रभुदास
12. संतोषदेवी पुत्री प्रभुदास
13. बेबी देवी पुत्री प्रभुदास
14. कस्तुरीदेवी पुत्री प्रभुदास जातियान साद निवासीगण तंवरा तहसील डेह
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह/जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -



1. वादी 1 से 3 की ओर से श्री गोविन्द राम ढाका, एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की ओर से श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट

:: डिक्री आदेश ::

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री गोवन्दराम ढाका व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल

1. वादी संख्या 1 जुगलकिशोर के हक बंट कब्जे काशत में मौजा तंवरा का खेत खसरा नम्बर 1151/109 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1152/109 रकबा 1.2220 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1153/109 रकबा 1.1171 हैक्टेयर यथावत रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 सुशील कुमार स्वामी व प्रतिवादी संख्या 2 मुकेश कुमार स्वामी के सह हक बंट कब्जा काशत सहखातेदारी में मौजा धानणी का खेत खसरा नम्बर 37 रकबा 3.0918 हैक्टेयर में से रकबा 1.5459 हैक्टेयर दक्षिणी दिशा में माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. वादी संख्या 3 मूलचंद साद व प्रतिवादी संख्या 3 प्रहलाद के सह हक बंट कब्जा काशत सहखातेदारी में मौजा धानणी का खेत खसरा नम्बर 37 रकबा 3.0918 हैक्टेयर में से रकबा 1.5459 हैक्टेयर उत्तरी दिशा में माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 नन्दलाल के हक बंट कब्जा काशत में मौजा तंवरा का खेत खसरा नम्बर 112 रकबा 1.7240 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
5. प्रतिवादी संख्या 4 से 15 क्रमशः किरण, पुष्पा, बंसती, अनिता, सीता देवी, संगीता, उमदेवी, गंगा, संतोषदेवी, बेबी देवी, सुप्यारी, कस्तुरीदेवी द्वारा अपने हक हिस्से का त्याग करने से मामला हक त्याग के द्वारा भूमि अन्तरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।
7. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। सूचित हो।



आज की तारीख तीज - मुबलिक - बाबत - खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना ख.तारीख वसूल योगो तक - को अदा करें। बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक .....13.07.2024.....को जारी किया गया

(अभिलाषा)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर

मुद्दे	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर वाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिंक		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(अभिलाषा)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर